पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.04.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डा० दाउद अली, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनन्दन यादव, स०वि०स० श्री संजय सिंह (टाइगर), स०वि०स० श्री ललन राम, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री राहुल कुमार, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स०	"दिल्ली स्थित बिहार निवास में माननीय आगंतुओं को भोजन, आवासन आदि की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा भुगतान के आधार पर की जाती है । वहां स्थापित कैन्टीन में नो प्राफिट-नो लोस के आधार पर भोजन आदि की व्यवस्था न कर कैन्टीन मैनेजर के द्वारा कैन्टीन के मापदंड न अपनाकर होटल व्यवसाय जैसा खाद्य सामग्रियों की आपूर्त्ति की जाती है । खाद्य सामग्री की गुणवत्ता निम्न कोटि की रहती है तथा बिहारी भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहती है । कैन्टीन के नाम पर कैन्टीन के संचालक सरकारी राजस्व का चूना लगा रहे हैं । अतः सचिवालय भोजशाला, बिहार के तरह दिल्ली में पदस्थापित श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी के संरक्षण में कैंटीन की व्यवस्था करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	श्रम संसाधन / मंत्रिमंडल सचिवालय

1	2	3	4
2.	श्री कन्हैया कुमार, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स० श्री भूमेन्द्र नारायण सिंह, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र मेहता, स०वि०स०	"लक्खीसराय जिलान्तर्गत बड़हिया प्रखंड के एजनी, पाली, गिरधरपुर, गंगासराय, डुमरी, लक्ष्मीपुर, खुटहा पूर्वी एवं खुटहा प० पंचायत और लक्खीसराय प्रखंड, हलसी प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड के सभी पंचायतों में लेबर जॉब कार्ड मजदूरों के हाथ में नहीं बांटा गया और उसके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके पोस्ट ऑफिस की मिली भगत से रूपये की निकासी कर ली गयी । प्रोग्राम पदा०, रोजगार सेवक पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से जिला पदा० के संरक्षण में मनरेगा योजना की राशि में घोर अनियमितता बरती गयी है । वित्तीय वर्ष-2010-11, 2012-13 में योजना शुरू की गयी और उसे अधूरा छोड़ कर दूसरी नई योजना शुरू कर दी गयी । हलसी प्रखंड के मोहद्दीनगर पंचायत में वर्ष 2010 में छिलका के निर्माण में 36 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें 30 लाख निकासी कर उसे अधूरा छोड़ दिया गया । जिले में इस तरह की कई योजनाएं अनियमितता के कारण अधूरी पड़ी है । अत: उक्त मामले की जांच कराकर अधूरी योजना को पूर्ण कराने और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/13- 407 / वि०स०, पटना, दिनांक- 2 अप्रील, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / श्रम संसाधन विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/4/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/13- 407 / वि०स०, पटना, दिनांक- 2 अप्रील, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

2/4/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

2/4/13